10 03/25 पत्रावली पेश हुई। वकील प्रार्थी उपस्थित। वकील अप्रार्थीगण उपस्थित। अप्रार्थी संख्या 01, 03, 04, 05, 06, 07, 08 को जारी नोटिस बाद तामील प्राप्त हुए। जो शामिल पत्रावली किये। अप्रार्थी संख्या 01 से 08 की ओर से वकील श्री नेकाराम चौधरी ने पूर्व में वकालतनामा पेश कर दिया है। वकील प्रार्थी ने वाद अंतर्गत धारा

Scanned with CamScanner

तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनीशियल जज	नम्बर व तारीख अहकाम इस हुक्म की तामिल हुये

53, 188 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 के साथ उक्त प्रार्थना पत्र अंतर्गत धारा 212 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 पेश कर प्रस्तुत विभाजन व सार्व कालिक निषेधाज्ञा के वाद के निस्तारण तक वादग्रस्त भूमि मौजा सेवाड़ी पटवारी हल्का सेवाड़ी तहसील बाली के खसरा नंबर 2437, रकबा 0.4100 हेक्टेयर के संबंध में बहक प्रार्थी विरूद्ध अप्रार्थीगण मौके व रेकर्ड की यथास्थिति बनाये रखने बाबत अस्थाई निषेधाज्ञा जारी किये जाने का निवेदन किया।

बकील अप्रार्थीगण द्वारा जवाब पेश नही कर वाद के निस्तारण तक वादग्रस्त भूमि मौजा सेवाडी पटवारी हल्का सेवाडी तहसील बाली के खसरा नंबर 2437 रकबा 0.4100 हेक्टेयर के संबंध में बहक प्रार्थी विरूद्ध अप्रार्थीगण मौके व रेकर्ड की यथास्थिति बनाये रखने बाबत अस्थाई निषेधाज्ञा जारी किये जाने हेतु सहमति व्यक्त की गई।

पत्रावली व उपलब्ध रेकर्ड के अध्ययन व वकुलाय को सुनने के पश्चात प्रकरण में वर्णित भूमि को लेकर पक्षकारों के मध्य कोई अन्यथा विवाद न हो, इस हेतु वादग्रस्त भूमि मौजा सेवाडी पटवारी हल्का सेवाडी तहसील बाली के खसरा नंबर 2437 रकबा 0.4100 हेक्टेयर के मौके की यथास्थिति कायम रखने बाबत बहक प्रार्थी

Scanned with CamScanner

तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल जज	नंबर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुये
	विरूद्ध अप्रार्थीगण मूल वाद के निस्तारण तक अस्थाई निषेधाज्ञा जारी की जाती है पत्रावली फैसल शुमार होकर नंबर से कम हो।	
	न्यायालय उप-खण्ड अधिकारी बाली, जिला-पाली (राज.)	
	सहायक कलक्टर एवं पदेन उपखण्ड अधिकारी, बाली	

Scanned with CamScanner